भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेल भर्ती बोर्ड

सत्यमेव जयते

भारतीय रेल

शुद्धिपत्र संख्या 5
केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 03/2019 की
विभिन्न मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कोटियां के पदों की भर्ती के लिए।

आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित विस्तृत सीईएन संख्या 03/2019 के संदर्भ में, निम्नलिखित शुद्धिपत्र/संशोधन किए गए हैं: -

क्र. सं.	मद संख्या	जैसा कि सीईएन 03/2019 में दिया गया है	के रूप में पढ़ा जाना
1	**सीईएन का पैरा 1.11 (पेज 7)**	अभ्यर्थियों के पैनल में कमी या अन्य अत्यावश्यकताओं के मामले में, आरआरबी अभ्यर्थियों की योग्यता और विकल्प के अनुसार अभ्यर्थियों की अतिरिक्त सूची (स्टैंडबाय सूची) का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तथापि, यह ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए कोई निहित अधिकार प्रदान नहीं करेगा।	अभ्यर्थियों के पैनल में कमी या अन्य अत्यावश्यकताओं के मामले में, आरआरबी अभ्यर्थियों की योग्यता और विकल्प के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो योग्यता सूची में से अभ्यर्थियों का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
2	**सीईएन का पैरा 8.4 (पेज 15)**	ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि पर पृष्ठ 49 पर दिए गए अनुलग्नक- III के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणपत्र वितीय वर्ष 2018-19 के लिए होना चाहिए क्योंकि आवेदनों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 07.04.2019 है। इन शर्तों का पालन न करने की स्थिति में, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता / आवेदन, यदि सामान्य (यूआर) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो केवल सामान्य (यूआर) रिक्तियां के अंतर्गत ही विचार किया जाएगा।)।	ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि पर पृष्ठ 49 पर दिए गए अनुलग्नक- III के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। **अधिसूचना की तिथि के बाद भी जारी किया गया ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि पर मान्य माना जाएगा।** इन शर्तों का पालन न करने की स्थिति में, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता / आवेदन, यदि सामान्य (यूआर) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो केवल सामान्य (यूआर) रिक्तियां के अंतर्गत ही विचार किया जाएगा।)।
3	**सीईएन का पैरा 13.14 (पेज 29)**	सीबीटी और आशुलिपि कौशल परीक्षा, परफॉर्मेंस टेस्ट / शिक्षण कौशल परीक्षा, अनुवाद परीक्षा (जैसा लागू हो) में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर, रिक्तियों की संख्या के बराबर अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता और विकल्पों के अनुसार दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विभिन्न पदों के लिए रिक्तियों की संख्या के 50% (आरआरबी के विवेक पर वृद्धि या कमी हो सकती है) के बराबर अभ्यर्थियों को भी दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। तथापि, इन अतिरिक्त अभ्यर्थियों को केवल तभी सूचीबद्ध करने के लिए विचार किया जाएगा, जब योग्यता सूची से पैनल में कोई कमी हो या/और अनुशंसित अभ्यर्थियों के कार्य पद पर शामिल न होने या/और किसी अन्य विशेष आवश्यकता के कारण कमी के बदले प्रतिस्थापन के रूप में विचार किया जाएगा। समान अंक प्राप्त करने वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के मामले में, उनकी योग्यता स्थिति आयु मानदंड द्वारा निर्धारित की जाएगी अर्थात, बड़े अभ्यर्थी को उच्च योग्यता पर रखा जाएगा और यदि आयु समान है, तो टाई को तोड़ने के लिए वर्णमाला क्रम (ए से जेड) नाम को ध्यान में रखा जाएगा।	सीबीटी और आशुलिपि कौशल परीक्षा, परफॉर्मेंस टेस्ट / शिक्षण कौशल परीक्षा, अनुवाद परीक्षा (जैसा लागू हो) में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर, रिक्तियों की संख्या के बराबर अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता और विकल्पों के अनुसार दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। तथापि, अभ्यर्थियों के पैनल में कमी या अन्य अत्यावश्यकताओं के मामले में, आरआरबी अभ्यर्थियों की योग्यता और विकल्प के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो योग्यता सूची में से अभ्यर्थियों का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। समान अंक प्राप्त करने वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के मामले में, उनकी योग्यता स्थिति आयु मानदंड द्वारा निर्धारित की जाएगी अर्थात, बड़े अभ्यर्थी को उच्च योग्यता पर रखा जाएगा और यदि आयु समान है, तो टाई को तोड़ने के लिए वर्णमाला क्रम (ए से जेड) नाम को ध्यान में रखा जाएगा।
4	**सीईएन का पैरा 13.16 (पेज 29)**	यह भी ध्यान दिया जाए कि दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) में सफल सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा जाता है। अतिरिक्त अभ्यर्थियों (जिन्हें रिक्तियों की अधिसूचित संख्या से अधिक डीवी के लिए बुलाया जाता है) द्वारा इस तरह की चिकित्सा परीक्षा को पास करने से ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए विचार करने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।	यह भी ध्यान दिया जाए कि दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) में सफल सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा जाता है।

अध्यक्ष
रेल भर्ती बोर्ड

दिनांक: 30.03.2022